# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 77/2024 दायर दिनांकः 20.06.2024

उनवान

1. सन्तोष बाई पत्नी प्रहलाद जाति भीलं नि. बानौर तहसील रायपुर

– प्रार्थीया

बनाम

मृतक –ग्यारसीराम पि. गुलजीराम जाति दांगी नि. हनोतिया धरोनिया

1/1 रामबाबू पुत्र ग्यारसीराम जाति दांगी नि. हनोतिया धरोनिया तह.रायपुर

1/2 ममताबाई पुत्री ग्यारसीराम जाति दांगी नि.हनोतिया धरोनिया

1/3 प्रेमलता पुत्री ग्यारसीराम जाति दांगी नि. हनोतिया धरोनिया तह.रायपुर

1/4 ललताबाई बैवा ग्यारसीराम जाति दांगी नि.हनोतिया धरोनिया

2. कुंतीबाई पत्नी लालचन्द जाति दांगी नि. हनोतिया धरोनिया तह. रायपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :–

अभिभाषक प्रार्थीया – श्री विनोद शर्मा
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1/1 व 1/4 – श्री प्रेमचन्द चौधरी
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 – श्री सुभाष दांगी
अप्रार्थी सं. 1/2 व 1/3 – एकतरफा
अप्रार्थी सं. 3 – पेरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

## निर्णय

दिनाकः 26.09.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम हनोतिया धरोनिया पटवार हल्का धारुखेड़ी तह० रायपुर के खाता संख्या नया 35 पुराना 124 के खसरा नं. 488 कृषि भूमि में प्रार्थीया का 2/5 हिस्सा खाते नाम दर्ज है व कब्जे काश्त की आराजी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। यह कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया की आराजी खसरा नं. 488 कृषि भूमि पर आने–जाने का रास्ता ग्राम हनोतिया से धारुखेड़ी रास्ते पर अप्रार्थीगण के खसरा नं. 489 व खसरा नं. 827/676 के मध्य की मेढ़ से होता हुआ प्रार्थीया अपने खेत आराजी पर पंहुचती है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण ने जोर–जबदस्ती व ताकत के बल पर अवरोध कर दिया है। यह कि प्रार्थीया का उक्त रास्ते के अलावा अपनी आराजी खसरा नं. 488 पर आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है अप्रार्थीगण ने जोर–जबदस्ती व ताकत के बल पर हमेशा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर दिया व मेढ़ की हकाई कर रास्ता बंद कर दिया। प्रार्थीया को अपने खेत में हकाई–जुताई के लिए साधन, ट्रेक्टर निकालने में समस्या आ रही है। प्रार्थीया का खेत पड़त रह जायेगा। जबकि मौके पर खसरा नं. 489 व खसरा नं. 827/676 के मध्य मेढ़ पर रास्ता था लेकिन यह रास्ता बंद करने से प्रार्थीया के खेत पर आने–जाने का रास्ता बंद हो गया है। प्रार्थीया को अपने खेत में हकाई जुताई करानी है पर प्रार्थीया के पास इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के कायम चले आ रहे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में अवरोध करने पर तथा प्रार्थीया को आने–जाने से रोकने पर प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ तहसील में कानूनी कार्यवाही भी की गई है पर उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। यह कि प्रार्थीया की आराजी पर आने–जाने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक (Alternative) रास्ता नहीं है ना स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के संबंध में प्रार्थीया को अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोतके केवल सुविधा जनक उपयोग के लिये नहीं है। (The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding) अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया का रास्ता रोक देने से प्रार्थीया की आराजी खसरा नं. 488 पर आने–जाने की परेशानी उत्पन्न हो गयी है। यह कि प्रार्थीया को अपनी आराज़ियात पर आने–जाने के लिये 12 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीया अपने ट्रक ट्रेक्टर, थ्रेशर मशीन, कृषि समान इत्यादि लाने–ले जाने में उपयोग हो सके है। यह कि प्रार्थीया रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रुप में निर्धारित मुआजवा राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी



Scanned with OKEN Scanner

नियमानुसार भुगतान करने के लिये तैयार है। यह कि प्रार्थीया ने उक्त संबंध में हल्का पटवारी व कानूनगो से कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया कि ग्राम हनोतिया धरोनिया पटवार हल्का धारुखेड़ी तह० रायपुर की खाता संख्या नया 35 पुराना 124 के खसरा नं. 488 कृषि भूमि में प्रार्थीया का 2/5 हिस्सा पर आने–जाने का रास्ता 12 फीट चौड़ाई का अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 489 व खसरा नं. 827/676 के मध्य मेढ़ पर होकर रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ताश अभिलिखित की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीया के पक्ष में की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1/2 व 1/3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबकि आदेशिका दिनांक 30.07.2025 से अप्रार्थी सं. 1/2 व 1/3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1/1 व 1/4 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पेरा नंबर 1 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है प्रार्थीया साबित करे। यह कि आराजी खसरा नंबर 488 कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता ग्राम हनोतिया से ग्राम धारुखेडी रास्ते पर होना गलत है तथा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 489 व खसरा नंबर 827/676 के मध्य के मेड से होता हुआ प्रार्थीया के पर खेत पर पहुंचने के तथ्य कतई निराधार, बनावटी व भ्रामक दर्ज होने से अस्वीकार है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण ने जोरजबदस्ती अवरोध करने के तथ्य भी निराधार व झूठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत व डिफेक्टिव प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। यह कि पेरा नंबर 3 के समस्त तथ्य बनावटी व निराधार दर्ज होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 488 के अन्य [illegible] भी है जो उनके सही रास्ते से उनके खेत खसरा नंबर 488 पर जाते [illegible] हैं। प्रार्थीया ने उक्त खसरा नंबर 488 में कुछ हिस्सा खरीदा है [illegible] अवैध तरीके से अलग जगह जहा कभी 50 सालो से रास्ता नहीं रहा है और मेडबंदी की खाई खुदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

होकर बड़े बड़े वृक्ष खड़े है और रास्ता संभव नहीं है। ऐसे स्थान पर गलत तरीके से रास्ते की मांग कर रही है, जो प्रार्थना पत्र भ्रामक व डिफेक्टिव होने से चलने योग्य नहीं है। मोके पर कभी भी 50 सालो में खसरा नंबर 489 व 827/676 के मध्य मेड पर कोई रास्ता नहीं रहा है और नही रास्ता बंद किया गया है। सम्पुण पेरे के तथ्य गलत है अस्वीकार है। यह कि प्रार्थीया का कोई रास्ता कायम उक्त स्थान पर नहीं होने से किसी प्रकार का अवरोध नहीं किया गया है। प्रार्थीया ने उक्त पेरे में कत्ताई झूठे तथ्य दर्ज किये है जो निराधार होने से अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है खसरा नंबर 488 के अन्य खातेदारन पूर्व के रास्ते से आसानी से अपने खेत खसरा नंबर 488 पर जा रहे है और प्रार्थीया उक्त रास्ते से अपने खेत पर नहीं जाकर अप्रार्थी 2 को नुकसान करने परेशान करने व अप्रार्थी 2 के खातेदारी कब्जे काश्त फसल को खुर्दबुर्द करने की गरज से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि उक्त पेरे सभी तथ्य गलत व भामक होने से अस्वीकार है जब खसरा नंबर 488 के अन्य खातेदार अपनी आराजी पर आसानी से जा रहे है, फिर भी प्रार्थीया जो कुछ हिस्से की खातेदार है अलग सुविधा का रास्ता अप्रार्थी 2 को नुकसान करने की गरज से अवैध रूप से चाह रही है। उक्त पैरे के तथ्य गलत व अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत है व अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य बनावटी दर्ज होने से अस्वीकार है। यह कि उक्त पैरे के तथ्य गलत है व अस्वीकार है चाही गई सहायता अस्वीकार है। प्रार्थीया कोई सहायता पाने की पात्र नहीं है। **विशेष आपत्तियाँ** – यह की ग्राम हनोतिया के खसरा नम्बर 488 पर आने जाने का रास्ता गांव से चलकर खसरा नम्बर 809/489 की पश्चिमी मेड पर होकर रहा है पहले का खातेदार व उसके पातीदार भी उसी मेड पर होकर खसरा न. 488 पर जाते रहे है गाव से चलकर खसरा नम्बर 809/489 पहले आता है उसके बाद हम अप्राथी के खेत आते है जिस कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह वि[illegible] खसरा नंबर 488 के अन्य खातेदारों के अपने खेतों पर जाने के मौजूद[illegible] के सही तथ्यों को छिपाकर उसी खसरा नंबर के हिस्से के लिए गलत [illegible] बताकर नये रास्ते के लिए अपनी सुविधा के लिए गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी न. 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

खसरा न. 827/676 में संतरे का बगीचा लगा हुआ है, जहा नया रास्ता सम्भव नहीं है। यह कि अप्रार्थी 2 के खसरा नंबर 827/676 के मेड की पूरी लम्बाई में खसरा नंबर 488 की तरफ 30-40 सालो पुरानी अपनी भूमि में मेडबंदी की करीब 4-5 फिट गहरी खाई खोद कर मेडबंदी कर रखी है और मेड पर बड़े बड़े वृक्ष खड़े है और तारबंदी कर रखी है। वहा रास्ता संभव ही नहीं है, जिस कारण प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह कि खसरा नंबर 488 तक पूर्व के खातेदार व अन्य मोजूद खातेदार जिस रास्ते से खेतो पर जा रहे है फिर भी प्रार्थीया, अप्रार्थी 2 को नुकसान करने परेशान करने के लिए जहा कभी 50 वर्षो में रास्ता नहीं रहा है वहा में मेडबंदी की खाई व पेड़ पोधो में नया रास्ता संभव नही होने पर भी गलत डिफेक्टिव प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिस कारण अप्रार्थीया 2 विशेष हर्जा खर्चा पाने की अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष आपतियो के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आरी कोस्ट पर खारिज फरमाया जाकर अन्य न्यायोचीत सहायता व विशेष हर्जा खर्चा अप्रार्थी 2 को दिलाने की कृपा करे।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा नंबर 1 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है प्रार्थीया साबित करे। यह कि आराजी खसरा नंबर 488 कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता ग्राम हनोतिया से ग्राम धारुखेडी रास्ते पर होना गलत है तथा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 489 व खसरा नंबर 827/676 के मध्य के मेड से होता हुआ प्रार्थीया के पर खेत पर पहुंचने के तथ्य कतई निराधार, बनावटी व भ्रामक दर्ज होने से अस्वीकार है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण ने जोरजबदस्ती अवरोध करने के तथ्य भी निराधार व झूठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत व डिफेक्टिव प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। यह कि पेरा नंबर 3 के समस्त तथ्य बनावटी व निराधार होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 488 के अन्य खातेदारान ... खेत खसरा नंबर 488 पर जाते आते है ... में कुछ हिस्सा खरीदा है, जो गलत व अवैध तरीके से अलग जगह जहा कभी 50

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

सालो से रास्ता नही रहा है और मेडबंदी की खाई खुदी होकर बड़े बड़े वृक्ष खड़े है और रास्ता संभव नहीं है। ऐसे स्थान पर गलत तरीके से रास्ते की मांग कर रही है, जो प्रार्थना पत्र भ्रामक व डिफेक्टिव होने से चलने योग्य नहीं है। मोके पर कभी भी 50 सालो में खसरा नंबर 489 व 827/676 के मध्य मेड पर कोई रास्ता नहीं रहा है और नही रास्ता बंद किया गया है। सम्पुर्ण पेरे के तथ्य गलत है अस्वीकार है। रास्ता ख.न. 489 व 809/489 के बीच मौजूद है। यह कि प्रार्थीया का कोई रास्ता कायम उक्त स्थान पर नही होने से किसी प्रकार का अवरोध नही किया गया है। प्रार्थीया ने उक्त पेरे मे कतई झूठे तथ्य दर्ज किये है जो निराधार होने से अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है खसरा नंबर 488 के अन्य खातेदारन पूर्व के रास्ते से आसानी से अपने खेत खसरा नंबर 488 पर जा रहे है और प्रार्थीया उक्त रास्ते से अपने खेत पर नही, जाकर अप्रार्थी 2 को नुकसान करने परेशान करने व अपार्थी 2 के खातेदारी कब्जे काश्त फसल व संतरे के बगीचे को खुर्दबुर्द करने की गरज से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि उक्त पेरे सभी तथ्य गलत व भ्रामक होने से अस्वीकार है जब खसरा नंबर 488 के अन्य खालेदार अपनी आराजी पर आसानी से जा रहे है, फिर भी प्रार्थीया जो कुछ हिस्से की खालेदार है अलग सुविधा का रास्ता अप्रार्थी 2 को नुकसान करने की गरज से अवैध रूप से चाह रही है। उक्त घेरे के तथ्य गलत व अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत है व अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य बनावटी दर्ज होने से अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत है व अस्वीकार है चाही गई सहायता अस्वीकार है। प्रार्थीया कोई सहायता पाने की पात्र नहीं है। **विशेष आपत्तियाँ–** यह कि प्रार्थीया ने खसरा नंबर 488 के अन्य खातेदारों के अपने खेतों पर जाने के मौजूद रास्ते के सही तथ्यों को छिपाकर उसी खसरा नंबर के हिस्से के लिए गलत तथ्य बताकर नये रास्ते के लिए अपनी सुविधा के लिए गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी नं. 2 के ख[illegible] 827/676 में संतरे का बगीचा लगा हुआ है, जहा नया रास्ता सम्भव नही है [illegible] कि अप्रार्थी 2 के खसरा नंबर 827/676 के मेड की पूरी लम्बाई में खसरा नंबर 488 की तरफ 30–40 सालो पुरानी अपनी भूमि में मेडबंदी की करीब 4–5 फिट गहरी खाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

खोद कर मेडबंदी कर रखी है और मेड पर बड़े बड़े वृक्ष खड़े है और तारबंदी कर रखी है। वहा रास्ता संभव ही नही है, जिस कारण प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह कि खसरा नंबर 488 तक पूर्व के खातेदार व अन्य मोजूद खातेदार 489 व 809/489 के बीच रास्ते से खेतो पर जा रहे है फिर भी प्रार्थीया, अप्रार्थी 2 को नुकसान करने परेशान करने के लिए जहां कभी 50 वर्षों में रास्ता नहीं रहा है वहां से मेडबंदी की खाई व पेड़ पोधों में नया रास्ता संभव नही होने पर भी गलत डिफेक्टिव प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिस कारण अप्रार्थीया 2 विशेष हर्जा खर्चा पाने की अधिकारी है। खसरा न. 488 का रास्ता खसरा न 489 व 809/489 के बीच मोजूद होने की पुष्टि ILR की रिपोर्ट से स्पष्ट होती हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष आपतियों के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जाकर अन्य न्यायोचीत सहायता व विशेष हर्जा खर्चा अप्रार्थी 2 को दिलाने की कृपा करे।

4. पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2024/1123 दिनांक 08.10.2024 से जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– उक्त प्रकरण में राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त भूमि ग्राम हनोतियाः धरोनिया प0म0 धारूखेडी भू.अभि.नि. वृत्त–हिम्मतगढ, तहसील रायपुर कि आराजी ख.न. 35 ख. नं. 488 रकबा 1.1761 है. किस्म बारानी प्रथम खातेदार पूजा पत्नि स्व. दिनेश हिः 1/20 नाबा. लखन पुत्र दिनेश हि 1/20, सा. देह खातेदार संतोषबाई पत्नि प्रहलाद हि. 2/5 जाति भील सा. बानोर, रामकैलाश पुत्र बरदीलाल हि. 1/2 जाति मीणा सा. जालोदा खातीयान तहसील पीपल्दा जिला कोटा खातेदार के खातेदारी दर्ज है। उक्त खातेदारान में से संतोषबाई पत्नि प्रहलाद हि. 1/5 द्वारा माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय पिडावा समक्ष धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत स्वयं के हि.2/5 पर [illegible] हेतु रास्ता चाहा गया है। उक्त प्रकरण में ग्राम हनोतिया–धरोनिया की आराजी ख.न. 488 का मौका देखा गया। उक्त आराजी ख.न. 488 के [illegible] आराजी ख.न. 489 स्थित है। जिसके उत्तर में आम रास्ता स्थित है। उक्त आराजी पृथक पृथक बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

होने से वर्तमान में ख.नं. 489 व ख.नं. 809/489 दर्ज होकर वर्तमान में पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में आराजी ख.न. 489 रकबा 0.1897 है. ग्राम हनोतिया धरोनिया के खाता स. 27 खातेदार ग्यारसीराम पिं. गुलजीराम जाति दांगी सा. देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज है एवं आराजी ख.नं. 809/489 खाता सं. 117 रकबा 0.1770 है. खातेदार शांतीबाई पत्नि गोकुल जाति दांगी सा.देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में आराजी ख.न. 488, 4 संयुक्त खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है। मौके पर ख.नं. 488 कुल दो भाग कर पृथक पृथक काश्त की जा रही है। जिसमे पूर्वी दिशा भाग पर वादी संतोषबाई पत्नि प्रहलाद के द्वारा व पश्चिमी भाग पर रामकैलाश व अन्य सहखातेदारान के द्वारा काश्त की जा रही है। लेकिन मुताबिक राजस्व रेकार्ड 488 के सहखातेदारान का बंटवारा नही हुआ है एवं वर्तमान वादियां संतोषबाई के बाकी सहखातेदार ख.न. 809/489 से आते जाते हैं।

5. प्रार्थीया की ओर से ग्राम हनोतिया धरोनिया तहसील रायपुर का खाता सं. 35 की जमाबंदी सं. 2074–77, खसरा नक्शा दिनांक 27.05.2024, आधारकार्ड, मांगीबाई पत्नि मोनू भील का शपथपत्र, तहसील रायपुर में पेश प्रार्थनापत्र दिनांक 11.06.2024 की प्रमाणित प्रति पेश की।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम हनोतिया धरोनिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया के सहखाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 488 तक पहूॅच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है और पहूॅच हेतु कोई भी स्थाई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ख.नं. 488 का सभी सहखातेदारो के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौते से बंटवारा होकर वर्षो से अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त चले आ रहे है। उक्त बं[illegible] ख.नं. 488 का पूर्वी भाग प्रार्थीया के हिस्से व कब्जे में आ[illegible] प्रार्थीया आ[illegible] हिस्से तक पहूॅचने के लिए ख.नं. 675 में होकर बनी मु[illegible] [illegible]तिया धरोनिया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

आराजी ख.नं. 489 व 827/676 के मध्य की शामलाती मेड से होकर प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 488 तक अस्थाई रूप से व्यवरतार्थ आया जाया करते थी और यही पहूँच हेतु सबसे लघुत्तम रास्ता है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को बंद कर खाई लगा दी। प्रार्थीया की भूमि पर पहूँच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं होने से विगत 2 वर्षो से मजबूरन भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीया के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2024 में भी प्रार्थीया की आराजी तक कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण यथा ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, फसल कटाई मशीन आदि लाने ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रास्ता प्रार्थीया की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीया सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है।

अभिभाषक प्रार्थीया ने आगे कथन किया कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। आगे तर्क किया गया कि ख.नं. 488 के पश्चिम हिस्से के सहखातेदारो द्वारा ख.नं. 809/489 को किसी रामकैलाश मीणा के नाम से कय कर अपने हिस्से 488 में मिलाकर पूरा एक ही खेत मौके पर बना रखा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 489 व 827/676 की मध्य की मेड से होकर दोनो ओर 6-6 फीट यानि कुल 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

7. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि ख.नं. 488 प्रार्थीया व तीन अन्य लोगो की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और प्रार्थीया द्वारा अन्य तीनो सहखातेदारो को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है और ना ही भूमि का विधिक बंटवारा कराया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। आगे तर्क किया कि प्रार्थीया से ख.नं. 675 में होकर बनी मुख्य सडक से होकर दक्षिण की ओर ख.नं. 809/489 की पश्चिम मेड के सहारे होकर निकलती आई है और ख.नं. 488 के अन्य तीनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

सहखातेदार भी राजी होकर वर्तमान में अपनी फसल काश्त कर रहे है। प्रार्थीया द्वारा ख.नं. 488 की पूर्वी मेड से होकर रास्ता चाहा है लेकिन पूर्वी मेड पर संतरे के पेड़ लगे हुए है जिन्हें काटा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीया की भूमि तक पहुँच हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

8. पेशकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीया की आराजी ख.नं. 488 का सहखातेदारो के मध्य मौके पर बंटवारा हो रखा है और पूर्वी दिशा के हिस्से पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है और पश्चिमी हिस्से पर रामकैलाश व अन्य सहखातेदारान द्वारा फसल काश्त की जा रही है। ख.नं. 488 के उत्तर में मूल ख.नं. 489 स्थित है जिसके बेचान होने से वर्तमान में दो टुकड़े होकर प्रथक प्रथक खातेदारी में दर्ज हो चुके है। इसके तथा उत्तर में मुख्य सड़क गुजर रही है। प्रार्थीया के हिस्से की आराजी तक पहुंचने हेतु ना कोई रिकॉर्डेड सरकारी रास्ता है और ना ही कोई मौके पर वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम रास्ता है जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर रखा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तों के पालना जरूरी है:-

**(i)** रिकार्डेड_पहूँच_मार्ग –राजस्व रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 08.10.2024 के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीया के हिस्से व कब्जे की पूर्वी दिशा की भूमि ख.नं. 488 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। अतः साबित है कि प्रार्थीया की भूमि तक पहूँच हेतु **कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।**

**(ii)** वैकल्पिक_रास्ता_होना – अभिभाषक प्रार्थीया का कथन है कि उसके हिस्से व कब्जे की आराजी पर पहुँच हेतु कोई वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

भूमि तक पहूँच हेतु सनातनी वैकल्पक रास्ता ख.नं. 809/489 की पश्चिमी मेड से होकर ख.नं. 488 की उत्तरी मेड से होकर मौजूद है और प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा होने से प्रार्थीया सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने जवाब दिनांक 08.10.2024 में भी प्रार्थीया की भूमि पर पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश गवाह कालूराम एवं कुन्तीबाई द्वारा भी वर्षो से ख.नं. 809/489 की पश्चिम मेड से होकर ख.नं. 488 तक आने जाने का रास्ता बताया है जबकि प्रार्थीया द्वारा पेश गवाह मांगीबाई ने कथन किया कि ख.नं. 488 में हिस्सा 2/5 मेरा व मेरे भाई के खाते में था जिसे हमने तीन साल पहले प्रार्थीया को बेचान किया था। प्रार्थीया के बेचान करने से पहले हम व हमारे पिताजी ख.नं. 489 व 827/676 की मध्य मेड से होकर ही कृषि कार्य हेतु आया जाया करते थे जिसे अब अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है। तहसीलदार के अनुसार मौके पर ख.नं. 809/489 व 488 का पश्चिम भाग को मिलाकर सहखातेदार रामकैलाश द्वारा पूरा एक ही खेत बना रखा है जिससे रामकैलाश की मुख्य सडक से सीधी पहूँच हो चुकी है। अतः साबित है **कि प्रार्थीया की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।**

**(iii)** <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीया की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी [illegible] ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251[illegible] जोडी गई है। [illegible]लदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी



Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीया को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) <u>लघुतम रास्ता होना</u>– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लट्ठा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन एवं पेशकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2024 से जाहिर है कि लघुतम रास्ता ख. नं. 489 व 827/676 की संयुक्त मेड से होकर होगा। यह भी जाहिर है कि ख.नं. 489 व 827/676 की संयुक्त मेड के सहारे अप्रार्थीगण ने खाई खोदकर संतरे के पौधे लगा रखे है जिन्हे काटने से अप्रार्थीगण को नुकसान भी कारित होगा और इसलिए उक्त नुकसान की भरपाई भी प्रार्थीया से कराया जाना न्यायोचित होगा। अतः साबित है कि प्रार्थीया की भूमि तक पहूँच हेतु लघुतम रास्ता ख.नं. 489 व 827/676 की मध्य मेड के सहारे होगा।

(v) डी०एल०सी० की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान :–प्रार्थीया अपनी आराजी ख.नं. 488 पूर्वी दिशा तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आराजी से दिये जाने वाले रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु तैयार है लेकिन अप्रार्थीगण डीएलसी की दुगुनी दरो से भुगतान लेने हेतु सहमत नहीं है। प्रकरण के समाधान के लिए ख.नं. 489 व 827/676 की मध्य मेड के सहारे दोनो ओर 05–05 फीट कुल 10 फीट चौडे रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति <u>फलदार संतरे के पौधो/बगीचे की वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर</u> से किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2024 के अनुसार ग्राम [illegible] तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 488 [illegible] हेतु नया [illegible] के संबंध में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25[illegible] में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला [illegible] (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

## —::क्रियात्मक आदेश ::—

11. परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम हनोतिया धरोनिया तहसील रायपुर की अप्रार्थीगण के ख.नं. 489 व 827/676 की मध्य मेड के सहारे दोनो ओर 05–05 फीट कुल 10 फीट चौडे रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु फलदार संतरे के पौधो/बगीचे की वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथक नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

12. निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner